**भारत सरकार**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय**
**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2235**
**(15 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत नए आवासों का निर्माण**

**2235. श्री रमेश चन्द्र माझीः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत हाल ही में नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ओडिशा राज्य सहित देश में ऐसे आवासों के निर्माण के लिए चुने गए राज्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त प्रयोजन हेतु राज्यों के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(घ) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन पीएमएवाई-जी आवासों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसे आवासों के निर्माण के लिए अब तक जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन आवासों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभाथयों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना

(एसईसीसी)-2011 के अंतर्गत निर्धारित आवास वंचन मानदंडों और बहिष्करण मानदंडों तथा संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा विधिवत सत्यापन एवं अपीलीय प्रक्रिया के पूर्ण होने पर आधारित है।

2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.62 करोड़ (कुल का 88.81%) आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2.28 करोड़ (कुल का 76.9%) लाभार्थियों को आवासों की मंजूरी दी है , दिनांक 09.03.2022 की स्थिति के अनुसार 1.74 करोड़ आवासो का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत वार्षिक लक्ष्य पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता , पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर आवंटित किए जाते हैं।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत दिनांक 09.03.2022 की स्थिति के अनुसार आवंटित लक्ष्यों , स्वीकृत, निर्मित और निर्माणाधीन आवासों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ): वर्ष 2016-17 से 2021-22 (09.03.2022 की स्थिति के अनुसार) तक जारी की गई केंद्रीय निधियों और व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है। पीएमएवाई-जी को मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

**अनुबंध-I**

**पीएमएवाई-जी के तहत नये आवासों के निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2235 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

दिनांक 09.03.2022 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन पीएमएवाई-जी आवास

**(ईकाई संख्या में)**

| क्र.स. | राज्य का नाम | मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य | राज्यों द्वारा स्वीकृत आवास | निर्मित आवास | निर्माणाधीन आवास |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 41,596 | 33,829 | 4,,123 | 29,706 |
| 2 | असम | 15,81,833 | 7,35,832 | 4,69,501 | 2,66,331 |
| 3 | बिहार | 38,83,611 | 35,97,730 | 23,67,076 | 12,30,654 |
| 4 | छत्तीसगढ | 10,97,150 | 10,96,498 | 8,24,423 | 2,72,075 |
| 5 | गोवा | 1,707 | 242 | 131 | 111 |
| 6 | गुजरात | 4,49,167 | 4,31,914 | 3,098,80 | 1,22,034 |
| 7 | हरियाणा | 30,789 | 22,787 | 20,699 | 2,088 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 15,483 | 14,531 | 9,031 | 5,500 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 2,01,633 | 1,66,787 | 79,593 | 87,194 |
| 10 | झारखंड | 16,03,400 | 15,83,707 | 10,69,251 | 51,4,456 |
| 11 | केरल | 42,212 | 31,689 | 19,575 | 12,114 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 32,27,131 | 30,17,210 | 23,67,176 | 6,50,034 |
| 13 | महाराष्ट्र | 15,05,983 | 10,43,588 | 7,78,839 | 2,64,749 |
| 14 | मणिपुर | 46,166 | 34,965 | 13,791 | 21,174 |
| 15 | मेघालय | 81,677 | 61,298 | 27,301 | 33,997 |
| 16 | मिजोरम | 20,518 | 13,531 | 5,448 | 8,083 |
| 17 | नागालैंड | 25,074 | 15,797 | 4,239 | 11,558 |
| 18 | ओडिशा | 26,95,837 | 18,36,605 | 16,80,266 | 1,56,339 |
| 19 | पंजाब | 41,117 | 35,549 | 22,936 | 12,613 |
| 20 | राजस्थान | 17,32,059 | 17,18,340 | 12,44,995 | 4,73,345 |
| 21 | सिक्किम | 1,409 | 1,344 | 1,070 | 274 |
| 22 | तमिलनाडु | 81,7,439 | 7,39,426 | 3,31,755 | 4,07,671 |
| 23 | त्रिपुरा | 2,13,740 | 2,05,252 | 47,080 | 1,58,172 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **24** | उत्तर प्रदेश | 26,15,951 | 26,08,665 | 24,78,498 | 1,30,167 |
| **25** | उत्तराखंड | 29,138 | 28,025 | 13,717 | 14,308 |
| **26** | पश्चिम बंगाल | 37,99,505 | 34,63,368 | 31,46,283 | 3,17,085 |
| **27** | अण्डमान और निकोबार | 1,337 | 1,355 | 990 | 365 |
| **28** | दादरा और नगर हवेली | 6,763 | 5,608 | 1,928 | 3680 |
| **29** | दमन और दीव | 68 | 14 | 13 | 1 |
| **30** | लक्षद्वीप | 53 | 53 | 44 | 9 |
| **31** | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | आंध्र प्रदेश | 2,56,270 | 67,846 | 46,708 | 21,138 |
| **33** | कर्नाटक | 1,66,355 | 1,60,880 | 87,801 | 73,079 |
| **34** | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | लद्दाख | 1,992 | 1,893 | 1,428 | 465 |
| | कुल | **2,62,34,163** | **2,27,76,158** | **1,74,75,589** | **53,00,569** |

**अनुबंध-II**

**पीएमएवाई-जी के तहत नये आवासों के निर्माण के संबंध में लोक सभा में दिनांक 15.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2235 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

पीएमएवाई-जी के निर्माण के लिए 2016-17 से 2021-22 (09.03.2022 की स्थिति के अनुसार) तक आवंटित, रिलीज और उपयोग की गई निधियों का विवरण

**(रु. करोड़ में)**

| क्र.स. | राज्य | केंद्रीय रिलीज | व्यय (राज्य अंश सहित) |
|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 66.23 | 22.92 |
| 2 | असम | 7999.17 | 7991.63 |
| 3 | बिहार | 19258.79 | 31367.11 |
| 4 | छत्तीसगढ | 6969.85 | 10718.24 |
| 5 | गोवा | 2.85 | 2.30 |
| 6 | गुजरात | 2598.49 | 4126.09 |
| 7 | हरियाणा | 158.63 | 296.45 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 141.69 | 154.88 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 1343.96 | 1439.62 |
| 10 | झारखंड | 11041.95 | 17020.13 |
| 11 | केरल | 121.90 | 284.03 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 20000.52 | 32245.67 |
| 13 | महाराष्ट्र | 6678.55 | 10433.38 |
| 14 | मणिपुर | 236.73 | 238.17 |
| 15 | मेघालय | 553.54 | 510.43 |
| 16 | मिजोरम | 76.67 | 82.13 |
| 17 | नागालैंड | 89.90 | 77.01 |
| 18 | ओडिशा | 13939.99 | 21973.06 |
| 19 | पंजाब | 159.14 | 306.80 |
| 20 | राजस्थान | 10275.85 | 16212.09 |
| 21 | सिक्किम | 13.13 | 14.19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | तमिलनाडु | 3376.13 | 4441.93 |
| 23 | त्रिपुरा | 1583.41 | 1664.74 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 19667.27 | 31052.60 |
| 25 | उत्तराखंड | 333.82 | 293.18 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 25109.69 | 40451.45 |
| 27 | अण्डमान और निकोबार | 19.17 | 11.24 |
| 28 | दादरा और नगर हवेली | 71.59 | 86.51 |
| 29 | दमन और दीव | 0.59 | 0.16 |
| 30 | लक्षद्वीप | 0.71 | 0.60 |
| 31 | पुदुचेरी | 0.00 | 0.00 |
| 32 | आंध्र प्रदेश | 755.11 | 529.02 |
| 33 | कर्नाटक | 1369.51 | 1143.40 |
| 34 | तेलंगाना | 190.79 | 0.00 |
| | **कुल** | **154205.32** | **235191.16** |

*****